अध्याय–III : व्यय लेखापरीक्षा

वन विभाग

3.1 पौधों के अनुरक्षण पर परिहार्य व्यय

वास्तविक आवश्यकता के उचित सर्वेक्षण के बिना पौधे उगाने के परिणामस्वरूप वर्ष 2019–20 के दौरान पौधों के अनुरक्षण पर ₹ 1.12 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ ।

क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण की अधिसूचना दिनांक 12 नवम्बर 2009 में निहित प्रावधानों के अनुसार राज्य क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण में एक संचालन समिति होगी जो कि निकाय और इसकी कार्यकारी समिति की कार्यप्रणाली के लिए नियमों और प्रक्रियाओं को निर्धारित और/या अनुमोदित करेगी और कार्यकारी समिति द्वारा तैयार की गई संचालन की वार्षिक योजना को भी मंजूरी देगी । संचालन समिति ने बेहतर पौध भंडार के लिए नर्सरी में दो करोड़ पौधे उगाने की सिफारिश की (14 सितंबर 2016)। बाद में, ऊंची पौध के उत्पादन के लिए संधारित की जाने वाली पौध की संख्या के आधार पर, अनुवर्ती दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए राज्य क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण से बजट प्रावधान किया जाना था । संचालन समिति ने यह भी सुझाव दिया कि तैयार की गई पौध का उपयोग वन भूमि में पुनर्स्थापन, पुनर्वास और वृक्षारोपण के लिए किया जाना चाहिए, न कि गैर-वन भूमि में वितरण या रोपण के लिए। चूंकि उस क्षेत्र में सीमित वन भूमि उपलब्ध थी, जुलाई 2018 में समिति ने तैयार किये गए पौधों के पूर्ण उपयोग के लिए भुगतान के आधार पर वन भूमि के साथ-साथ अन्य सरकारी भूमि पर पौधों का उपयोग करने का निर्णय लिया।

प्रारंभ में विभाग ने अपने आदेश (4 नवंबर 2016) द्वारा 44 वन कार्यालयों को दो करोड़ पौधों/पौध के लिए ₹ 11.12 करोड़ का बजट आवंटित किया। तथापि, अगस्त 2017 में विभाग ने ₹ 15.78 करोड़ की निधि केवल 1.51 करोड़ पौधों के लिए आवंटित कर दी ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख), जयपुर के अभिलेखों की जांच (अप्रैल 2018 से मार्च 2019) के दौरान यह देखा गया कि विभाग ने 35 वन कार्यालयों में 1.51 करोड़ पौध तैयार किये । तैयार की गई पौध को ऊंचे पौधों में विकसित करने के लिए बड़ी थैलियों में स्थानांतरित किया गया । दिसंबर 2020 तक विभाग केवल 1.38 करोड़ पौध ही वितरित कर सका जिससे शेष 12.50 लाख पौध (8.30 प्रतिशत) अवितरित रह गये। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि कुल 1.38 करोड़ पौध के वितरण में से 96.24 लाख पौध वन भूमि में उपयोग किए गए थे और शेष गैर-वन भूमि में भुगतान के आधार पर उपयोग किए गए थे। इसके अतिरिक्त,

आठ कार्यालयों में विभाग 50 प्रतिशत से कम पौध वितरित कर सका और तीन कार्यालयों में वितरण मात्र दो से 20 प्रतिशत तक की सीमा में रहा था।

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण) ने क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण के अन्तर्गत तैयार किए गए पौधे का अलग अभिलेख संधारित करने की शर्त के अधीन बजट आवंटित किया था। विभाग द्वारा प्रस्तुत पौध उगाने एवं वितरण की जानकारी (अगस्त 2019) के विश्लेषण से पता चला किः

- नौ इकाइयों[1] में पौध/पौधों के वास्तविक अंतिम स्टॉक के विरूद्ध ₹ 35.81 लाख मूल्य के 7.79 लाख पौध/पौधों की कमी थी।
- छः इकाइयों[2] में पौध का अंतिम शेष वास्तविक अंतिम शेष से अधिक था।
- तीन इकाइयों[3] में विभागीय पौधारोपण के लिये वितरित किये गये पौध की संख्या, विभाग द्वारा तैयार किये गये पौध की संख्या से अधिक थी।
- चार इकाइयों[4] में विभाग द्वारा प्रति पौध/पौधों को तैयार करने हेतु तय की गयी दर से अधिक व्यय किया गया।

बाद में, विभाग ने सूचित किया (जून 2021) कि उपरोक्त कमियों को सुधार लिया गया है। तथापि, सही सूचना वाले मूल अभिलेखों की प्रतियां जो सुधार के आधार है लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गयी थी। उक्त दर्शाता है कि विभाग ने माल-सूचियों के अभिलेखों का उचित संधारण नहीं किया। इस प्रकार, इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि वन भूमि पर वृक्षारोपण करने के योजना का उद्देश्य जैसा कि राज्य क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण की संचालन समिति द्वारा अनुशंसित किया गया था, को पूर्ण किया गया।

इसके अलावा, गैर-वितरित पौध के संबंध में, विभाग को 2019-20 के दौरान स्टॉक के अनुरक्षण पर ₹ 1.12 करोड़[5] का परिहार्य व्यय भी करना पड़ा। यदि विभाग जुलाई 2018 में समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुरूप वन भूमि के साथ-साथ गैर-वन भूमि पर भुगतान आधार पर उपयोग के लिए पौधों का वितरण करता, तो 50.44 लाख पौध (31.03.2020 को शेष स्टॉक) पर ₹ 1.12 करोड़ के अनुरक्षण व्यय से बचा जा सकता था। वर्ष 2020-21 के दौरान किए गए परिहार्य अनुरक्षण व्यय की सूचना चाही गई थी जो अब भी प्रतीक्षित है (जुलाई 2021)।

---

1 छत्तरगढ़, चुरू, श्री गंगानगर, बाड़मेर, सिरोही, अलवर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, जयपुर वन्य।

2 अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर, बारां, जयपुर चिडियाघर।

3 अजमेर, बारां, जयपुर चिडियाघर।

4 श्री गंगानगर, जयपुर, बांसवाड़ा, जयपुर अनुसंधान।

5 अनुरक्षण व्यय (2019-20) = 84.71 लाख पौध के लिए ₹ 1.89 करोड़, प्रति पौध अनुरक्षण लागतः ₹ 1.89 करोड़/0.85 करोड़ = ₹ 2.23, 31 मार्च 2020 को शेष पौध = 50,43,767
2019-20 में अनुरक्षण पर परिहार्य व्ययः ₹ 1.12 करोड़ (50,43,767 X ₹ 2.23)।

मामला विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को प्रतिवेदित किया गया (नवंबर 2020)। सरकार ने तथ्य को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया (जून 2021) कि शेष 12.50 लाख पौधों को मार्च 2021 तक वितरित कर दिया जाएगा तथा अगले वर्ष इन पौधों के अनुरक्षण पर कोई राशि व्यय नहीं की जाएगी। विभाग का उत्तर आश्वस्त करने वाला नहीं है क्योंकि विभाग माह जून 2021 में मार्च 2021 तक वितरित पौधों के आंकड़े उपलब्ध नहीं करा सका। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (जुलाई 2021)।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

3.2 केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत अनियमित व्यय

सार्वजनिक निर्माण विभाग के तीन खण्डों में, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुमोदन के बिना सड़क कार्यों के अधिक/अतिरिक्त मदों पर केंद्रीय सड़क निधि से राशि ₹ 11.06 करोड़ का व्यय किया गया।

केंद्रीय सड़क निधि की स्थापना निम्न के लिये की गयी थीः (i) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव; (ii) ग्रामीण सड़कों के विकास; (iii) अन्य राज्य सड़कों का विकास और अनुरक्षण जिसके अंतर्गत अन्तर्राज्यीय और आर्थिक महत्व की सडके भी है; (iv) पुलों के माध्यम से रेलपथ के नीचे या ऊपर सड़क का सन्निर्माण और मानव रहित रेल-सड़क पारपथ पर, सुरक्षा संकर्म का परिनिर्माण; और (v) ऐसी परियोजनाएं जो निर्धारित की जा सकती हैं। केन्द्रीय सड़क निधि एक केंद्रीय प्रायोजित गैर-व्यपगत योजना है।

केन्द्रीय सड़क निधि नियम 2014 के नियम 7(3) के अनुसार कार्य की तकनीकी और वित्तीय स्वीकृति सम्बंधित कार्यपालक अभिकरण द्वारा की जाएगी और उन कार्यो के क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा जो प्रशासनिक अनुमोदन के अनुसार किये गये है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (मोर्थ), भारत सरकार के निर्देशानुसार (फरवरी 2013 और सितंबर 2016) मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय, स्वीकृत तकमीना में वर्णित मदों की मात्रा (बी.ओ.क्यू.) में तथा अतिरिक्त मदों की मात्रा में विचलन, स्वीकृत तकमीना में कार्य राशि एवं आकस्मिकताओं के लिए स्वीकृत राशि का पांच प्रतिशत तक स्वीकृत करने में सक्षम है। इस तरह के विचलन और/या अतिरिक्त मदों के प्रस्ताव राज्य के मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा प्रस्तुत किये जाने चाहिए। प्रत्यायोजन से परे प्रस्ताव यदि कोई हो तो सम्बंधित मुख्य अभियंता द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जाएगा और मंत्रालय को भेजा जाएगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग (सा.नि.वि.) ने सभी क्षेत्रीय खण्डों को निर्देशित किया (मार्च 2016) कि केंद्रीय सड़क निधि योजना में अतिरिक्त मदों पर विचार नहीं किया जाएगा।

लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम (पीडब्ल्यूएफ एण्ड एआर) के नियम 352 में स्वीकृति के दायरे को परिभाषित किया गया है, जिसमें किसी अनुमान के लिए किसी स्वीकृति द्वारा दिए गये प्राधिकार को सदैव उन्ही उद्देश्यों के लिए पूर्णतः सीमित माना जाना चाहिए जिनके लिए

अनुमान का उपबंध आशयित था। तद्नुसार, किसी निश्चित परियोजना के लिए स्वीकृत अनुमान पर कोई प्रत्याशित या वास्तविक बचतें, विशेष प्राधिकार के बिना, ऐसे अतिरिक्त कार्य करने में नहीं लगायी जानी चाहिए जो मूल परियोजना में नहीं दर्शाया गया हो या जो उसके वास्तविक निष्पादन पर पूर्णतः आकस्मिक हो ।

सा.नि.वि. खण्डों के अभिलेखों की जांच के दौरान, केंद्रीय सड़क निधि योजना के अंतर्गत निम्नलिखित मामलों में अनियमित व्यय देखा गया था:

3.2.1 मोर्थ, भारत सरकार ने रायपुर-मुंडला-गरवाडा-दुबलिया-करोडिया-सुनेल-सिरपोई सड़क को भवानीमंडी सीमा[6] तक निर्माण के लिए राशि ₹ 47.78 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (मार्च 2017) जारी की । सा.नि.वि. संभाग कोटा ने राशि ₹ 47.78 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति (अप्रैल 2017) जारी की । सा.नि.वि. (राष्ट्रीय राजमार्ग), जयपुर ने अधिकृत बोर्ड की राशि ₹ 36.29 करोड़ ('जी' अनुसूची से 19.24 प्रतिशत नीचे) के लिए स्वीकृति को सूचित किया था (जुलाई 2017) । सा.नि.वि., खण्ड-प्रथम, झालावाड़ ने क्रमशः 28 अगस्त 2017 और 27 नवंबर 2018 को कार्य शुरू करने और पूरा होने की निर्धारित तिथि के साथ कार्य आदेश जारी किया (जुलाई 2017) । संवेदक को ₹ 41.43 करोड़ का भुगतान किया जा चुका था (अक्टूबर 2019) ।

सा.नि.वि., खण्ड-प्रथम, झालावाड़ के अभिलेखों की नमूना जांच में देखा गया (दिसंबर 2019) कि खण्ड द्वारा निविदा छूट के कारण प्राप्त बचत से अतिरिक्त कार्य (सिरपोई गांव में बाईपास का निर्माण) करवाया गया, जिसको मूल प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति में परिकल्पित नहीं किया गया था । इसके परिणामस्वरूप मोर्थ की स्वीकृति के बिना अतिरिक्त मदों के रूप में ₹ 5.14 करोड़[7] का अनियमित व्यय किया गया ।

आक्षेपित किये जाने (अप्रैल 2020) पर राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और अवगत कराया (अगस्त 2020 और मार्च 2021) कि राज्य सरकार से अतिरिक्त मदों की स्वीकृति प्राप्त हो गई है । यह केंद्रीय सड़क निधि नियमों और मोर्थ दिशा-निर्देशों के मद्देनजर मान्य नहीं है, क्योंकि कार्य के निष्पादन से पूर्व मोर्थ की मंजूरी की आवश्यकता होती है जबकि राज्य सरकार ने अपने स्तर पर निर्णय लिया ।

3.2.2 मोर्थ, भारत सरकार ने श्रीगंगानगर जिले में सूरतगढ-श्रीविजयनगर-अनूपगढ़ सड़क पर 56.450/00-96.00 किमी और जैतसर के लिये संयोजक सड़क (3 किमी) पर 10 मीटर चौड़ी सीमेंट कंक्रीट (सीसी) सड़क के निर्माण और उन्नयन के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी की (दिसंबर 2015) ।

6 (एमडीआर – 214) किमी 0/00 से 20/00 (कार्य सं. सीआरएफ/892/आरजे/2016-17) ।

7 ₹ 41.43 करोड़ (13वें चल एवं अंतिम बिल के द्वारा संवेदक को भुगतान (-) ₹ 36.29 करोड़ (कार्य आदेश राशि) = ₹ 5.14 करोड़. ।

केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राशि ₹ 166.02 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी (दिसंबर 2015) । सा.नि.वि., बीकानेर संभाग द्वारा राशि ₹ 166.02 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी (अप्रैल 2016) । अधिकृत बोर्ड ने 'जी अनुसूची' से 2.29 प्रतिशत कम दर पर राशि ₹ 160.25 करोड़ के कार्य स्वीकृत किये । सा.नि.वि. खण्ड, सूरतगढ ने संवेदक को क्रमशः 12 अगस्त 2016 और 11 फरवरी 2018 को कार्य शुरू करने और पूरा करने की निर्धारित तिथि के साथ कार्य आदेश जारी किया (अगस्त 2016) । संवेदक को राशि ₹ 149.68 करोड़ का भुगतान किया गया था ।

संवेदक ने केवल सूरतगढ़ से श्रीविजयनगर सड़क का कार्य किया और जैतसर सड़क (तीन किमी) को कार्य से हटाने के कारण उसके द्वारा किये गये सड़क कार्य के लिये पूर्ण राशि का भुगतान करने की अपनी सहमति प्रदान की क्योंकि भूमि सामान्य आरक्षित अभियांत्रिकी बल (ग्रेफ) विभाग के अधीन थी और जिसे ग्रेफ द्वारा मुक्त नहीं किया गया था । इस कार्य की निर्धारित अवधि के दौरान, तीन किमी की जैतसर सम्पर्क सड़क का निर्माण और रख-रखाव ग्रेफ द्वारा किया गया था । इस प्रकार, जैतसर सम्पर्क सड़क को कार्य से हटा दिया गया था ।

जैतसर के लिए सम्पर्क सड़क को हटाने के कारण, तकनीकी अनुमानों में कार्यों की मात्रा को संशोधित किया जाना था । यद्यपि अनुमानों को बिना बदले ही विचलन प्रपत्र तैयार किया गया था और अनिष्पादित मदों/कम निष्पादित मदों को बचत के रूप में दर्शाया गया था, जबकि इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया था कि जैतसर रोड़ (3 किमी) का निर्माण/निष्पादन नहीं किया गया है और बचत का उपयोग श्रीविजयनगर में 90/500 से 95 किमी तक सड़क के उन्नयन के लिये और 94/0 से 95/0 किमी तक रैंप कार्य के लिये किया गया है ।

आक्षेपित किये जाने (सितम्बर 2020) पर राज्य सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2021) कि श्रीविजयनगर में 90/500 से 95 किमी तक सड़क को उन्नयन करने का कार्य और 94/0 से 95/0 पर रैंप निर्माण कार्य किया गया क्योंकि इन कार्यों की आवश्यकता थी । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कार्य का प्रकार नहीं बदला जा सकता है ।

अतः जैतसर सड़क का कार्य निष्पादित नहीं किये जाने के कारण हुई बचत राशि ₹ 4.32 करोड़ का उपयोग अधिक मात्रा के निष्पादन के लिये किया गया था । सक्षम स्वीकृति के अभाव में अधिक मात्रा पर किया गया व्यय अनियमित था ।

3.2.3 मोर्थ, भारत सरकार ने डीडवाना में एसएच-7डी किलोमीटर 115/550 (अस्पताल चौराहा) से 119/050 (लाडनू फाटक) और एसएच-60 किलोमीटर 162/200 (नागौर फाटक) से 164/0 (मदीना मस्जिद) तक चार-लेन की सीमेंट कंक्रीट सड़क के निर्माण के लिये राशि ₹ 28.98 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की थी (सितम्बर 2016) । सा.नि.वि. (तकनीकी), संभाग अजमेर ने राशि ₹ 28.98 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति जारी की (जनवरी 2017) । सा.नि.वि. (राष्ट्रीय राजमार्ग), जयपुर ने संवेदक के पक्ष में राशि ₹ 25.44 करोड़ के लिए 'जी' अनुसूची से 11.13 प्रतिशत कम दर पर

अधिकृत बोर्ड की स्वीकृति से अवगत कराया (मार्च 2017)। सा.नि.वि. खण्ड, डीडवाना ने क्रमशः 23 अप्रैल 2017 और 22 जुलाई 2018 को कार्य शुरू करने और कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि के साथ कार्यादेश (अप्रैल 2017) जारी किया। संवेदक को राशि ₹ 26.00 करोड़[8] का भुगतान किया गया था।

सा.नि.वि. खण्ड, डीडवाना के अभिलेखों की नमूना जांच में देखा गया (अक्टूबर 2019) कि खण्ड ने अतिरिक्त कार्य निष्पादित किया, जिसको मूल प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति में परिकल्पित नहीं किया गया था और तालिका 3.1 में दिए गए विवरण के अनुसार मोर्थ के अनुमोदन के बिना राशि ₹ 1.60 करोड़ का अनियमित व्यय किया गया थाः

तालिका 3.1

क्र.सं.	सड़कों के नाम	कार्य की मद	निष्पादित मात्रा (घनमीटर)	दर (₹ में)	व्यय (₹ में) (कॉलम 5X4)
1	2	3	4	5	6
1.	राम मंदिर से फव्वारा सर्कल सड़क	ग्रेनुलर सब बेसः सड़क रैंप शोल्डर्स	 929.96 66.82 324.57		
			1,321.35	250	3,30,338
		प्लेन सीमेन्ट कंक्रीटः सड़क रैंप	 929.96 269.49		
			1,199.45	2900	3478405
		सीमेन्ट कंक्रीटः सड़क रैंप	 1,205.44 310.36		
			1,515.80	5,032.27	76,27,915
2.	बलिया रोड़ रैंप	ग्रेनुलर सब बेस	445.77	250	1,11,443
		प्लेन सीमेन्ट कंक्रीट	446.45	2,900	12,94,705
		सीमेन्ट कंक्रीट	618.29	5,032.27	31,11,402
कुल योग					**1,59,54,208**

आक्षेपित किये जाने (फरवरी 2021) पर राज्य सरकार ने अवगत कराया (जुलाई 2021) कि क्षेत्र में जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए राज्य सरकार से अनुमोदन के पश्चात् ही अतिरिक्त कार्य निष्पादित किये गये थे। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सीआरएफ नियम 2014 के तहत आवश्यक अतिरिक्त कार्यो के लिए मोर्थ का अनुमोदन नहीं लिया गया था।

8 ₹ 24.90 करोड़ अन्तिम बिल तक और ₹ 1.10 करोड़ मूल्य वृद्धि बिल हेतु।

इस प्रकार, मोर्थ के अनुमोदन के बिना अधिक/अतिरिक्त मदों पर किया गया व्यय राशि ₹ 1.60 करोड़ अनियमित था।

3.2.4 निष्कर्ष

केंद्रीय सड़क निधि मार्गदर्शिका के अनुसार, अधिक/अतिरिक्त मदों के लिए निष्पादन से पूर्व मोर्थ की स्वीकृति ली जानी थी। यद्यपि, उपरोक्त मामलों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार ने अपने स्तर पर निर्णय लिए। यह केंद्रीय सड़क निधि के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन को सुनिश्चित करने में विभागीय स्तर पर आंतरिक नियंत्रण की कमी को दर्शाता है। यह लक्षित मदों पर निधि के उपयोग के उद्देश्य के अनुरूप नहीं था।

राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में मोर्थ के अनुमोदन के बाद ही अधिक/अतिरिक्त मदों की अनुमति प्रदान की जावें।

उद्योग विभाग

3.3 निर्णय की शिथिलता के कारण निधियों का अवरोधन

विभिन्न स्तरों पर समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने में सरकार एवं नगर विकास न्यास की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 2.09 करोड़ का अवरोधन हुआ जिसने लाभार्थियों को अभीष्ट लाभ से वंचित किया।

नगर विकास न्यास ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व अल्प आय वर्ग को भिवाडी क्षेत्र में आवास उपलब्ध कराने के लिये राजीव गांधी एनक्लेव आवासीय योजना प्रस्तावित एवं अनुमोदित (सितम्बर 2009) की। भिवाडी में 1,000 आवासीय इकाइयों (700 आवासीय इकाइयां आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये तथा 300 आवासीय इकाइयां अल्प आय वर्ग के लिये) के निर्माण के लिये नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा ₹ 30.90 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी (नवम्बर 2009) की गई।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये 700 आवासीय इकाइयों में से 224 आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिये कार्य प्रारंभ एवं समापन की विनिर्दिष्ट दिनांक क्रमशः 5 जून 2010 एवं 4 सितम्बर 2011 सहित दरों की मूल अनुसूची (बी.एस.आर.) से 7.5 प्रतिशत ऊपर राशि ₹ 6.12 करोड़ पर मै.दिविजा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (संवेदक) के पक्ष में कार्यादेश (मई 2010) दिया गया। विभाग द्वारा स्ट्रक्चरल एवं वर्किंग ड्राईंग की आपूर्ति विलम्ब से करने के कारण संवेदक ने चार माह के पश्चात् (अक्टूबर 2010) कार्य प्रारंभ किया।

भिवाडी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण, भिवाडी (तत्कालीन 'नगर विकास न्यास भिवाडी') के अभिलेखों की संवीक्षा (अगस्त 2019) के दौरान पाया गया कि कार्यस्थल पर एप्रोच रोड़ की अनुपलब्धता और अन्य बाधाओं के कारण संवेदक ने सितम्बर 2011 में कार्य रोक दिया। संवेदक ने मार्च 2012 में पुनः कार्य प्रारंभ किया परंतु नगर विकास न्यास, भिवाडी के

असहयोग को उद्धृत करते हुये उसी माह में (₹ 2.09 करोड़ का कार्य संपादित करने के उपरांत) रोक दिया। मामले को हल करने के स्थान पर नगर विकास न्यास, भिवाडी ने संवेदक को अनुबंध की धारा 2 के तहत अनुबंध की शर्तों का पालन करने के लिये एक कारण बताओं नोटिस जारी (अक्टूबर 2012) किया। तथापि, संवेदक ने कार्य प्रारंभ नहीं किया। नगर विकास न्यास, भिवाडी ने 14 माह व्यतीत होने के उपरांत सरकार से कार्य रद्द करने की अनुमति चाही (जुलाई 2013)। सरकार से अनुमति (फरवरी 2015) प्राप्त (18 महीने पश्चात) होने पर नगर विकास न्यास, भिवाडी ने 15 माह के पश्चात (सरकार की अनुमति से) शेष कार्य संपादन के लिये नयी निविदायें आमंत्रित (मई 2016) की। निविदा की शर्त के अनुसार, बोली 120 दिन के लिये, यथा 5 नवम्बर 2016 तक वैध थी। इसके बावजूद भी, नगर विकास न्यास, भिवाडी ने संवेदक को अप्रैल 2017 में कार्य सौंपा, परंतु संवेदक ने निविदा वैधता तिथि के पश्चात निविदा किये गये कार्य को संपादित करने से मना कर दिया। इस प्रकार, शेष कार्य पूरा नहीं किया जा सका और यहां तक कि समय बीतने के साथ पहले से पूरे किये गये कार्य में भी टूट-फूट हो रही थी।

इस प्रकार सरकार एवं नगर विकास न्यास, भिवाडी की विभिन्न स्तरों पर समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 2.09 करोड़ का अवरोधन हुआ तथा लाभार्थी अभीष्ट लाभ से वंचित रहे।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित (फरवरी 2020) किया गया। सरकार ने उत्तर दिया (जुलाई 2020) कि शेष कार्य संपादन के लिये क्रमशः अक्टूबर 2017 एवं अक्टूबर 2019 में भी नयी निविदायें आमंत्रित की गई थी लेकिन शेष कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका क्योंकि प्रथम निविदा में प्राप्त एकल बोली को अधिक माना गया था। यह भी अवगत कराया गया कि भिवाडी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण में मुख्य अभियंता पदस्थापित नहीं थे तथा भिवाडी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण की शक्तियों का प्रत्यायोजन/नियम/ अधिनियम भी नहीं बने थे जिसके कारण द्वितीय निविदा में निविदादाता के साथ प्रक्रियाऐं पूर्ण नहीं की जा सकी। आगे यह भी अवगत कराया गया (फरवरी 2021) कि भिवाड़ी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण की शक्तियों का प्रत्यायोजन बना (अगस्त 2020) लिया गया है तथा कार्य की ऑन-लाईन निविदा पुनः आमंत्रित (दिसम्बर 2020) की जा चुकी है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सरकार एवं भिवाडी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण ने निर्णय करने के प्रत्येक स्तर पर समय सीमा का पालन नहीं किया तथा शक्तियों का प्रत्यायोजन बनाये बिना द्वितीय निविदा आमंत्रित की। आगे, तथ्य यही है कि निर्णय करने में शिथिलता के कारण परियोजना आज दिन तक पूरी नहीं की जा सकी।